बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

स्वीकृत्यादेश

पत्रांक: यो09/S.H.A-08/2026 - 712 (हस्त) /यो0वि0,पटना, दिनांक 27 अगस्त, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना अंतर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु सभी जिला योजना पदाधिकारी को मो0 9,91,07,032/– (नौ करोड़ इक्यानवे लाख सात हजार बत्तीस) रूपये की व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।

राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सरकार के सात निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 से किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र स्थापित है जहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदकों का निबंधन एवं उनके कागजातों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

2. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–27.05.2026 को हुए मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–15 के रूप में सम्मिलित सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिले में अवस्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रों के संचालन एवं रख–रखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल मो0 65.00 (पैंसठ) करोड़ रूपये मात्र के अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना द्वारा इस योजना को सुचारू रूप से संचालन हेतु अगले एक वर्ष (2026–27) में होने वाले अनुमानित व्यय पर स्वीकृति दी गयी। राज्य सरकार द्वारा लिए गए सैद्धांतिक निर्णय के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2873 दिनांक–04.06.2026 द्वारा राज्य के सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्रो के सुचारू रूप से संचालन हेतु इस वित्तीय वर्ष (2026–27) तक स्वीकृत अनुमानित व्यय के अन्तर्गत इस राशि की विमुक्ति की जा रही है।

3. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के संचालन हेतु बिहार विकास मिशन द्वारा संविदा के आधार पर प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, Single Window Operator एवं Multi Purpose Assistant की सेवाएं उपलब्ध करायी गयी है।

4. राज्य स्तर पर आवेदकों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, पटना में कॉल सेंटर की स्थापना की गयी है जिसमें एक Toll Free No., 4PRI Line एवं एक Leased Line वर्तमान में कार्यरत है।

5. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की साफ–सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं Outsourcing के आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की सुरक्षा हेतु गृह रक्षा वाहिनी की सेवाएं ली गयी है।

6. आउटसोर्सिंग के आधार पर ली गयी सेवाएं तथा गृह रक्षा वाहिणी के मानदेय का भुगतान संविदा सेवाएं मद में आवंटित राशि से नियमानुसार की जायेगी।

7. विमुक्त की गयी राशि का व्यय जिला योजना पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर की जाएगी।

8. इस पर होने वाला व्यय मांग संख्या–35–योजना एवं विकास विभाग, मुख्य शीर्ष–2235, समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष–60–अन्य समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लधुशीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उपशीर्ष–0117–मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, विपत्र कोड 35-2235602000117 के संबंधित विषय शीर्ष के तहत विकलनीय होगा।

9. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, दूरभाष, विद्युत प्रभार, प्रशिक्षण व्यय, अनुरक्षण एवं मरम्मति मद तथा संविदा सेवाएं मद में जिला योजना पदाधिकारी को

उनके नाम के संमुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए कुल 9,91,07,032/– (नौ करोड़ इक्यानवे लाख सात हजार बत्तीस) रूपये मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र0	विभाग / जिला का नाम	यात्रा व्यय–1101	कार्यालय व्यय–1301	दूरभाष–1303	विद्युत प्रभार–1304	प्रशिक्षण व्यय–2003	अनुरक्षण एवं मरम्मति–2702	संविदा सेवाएँ–2802	कुल आवंटित राशि
1	औरंगाबाद	7000	600000	14000	700000	13000	1179667	1300000	3813667
2	अररिया	0	600000	40000	300000	0	0	700000	1640000
3	अरवल	0	1500000	0	200000	0	0	600000	2300000
4	भभुआ (कैमुर)	3000	600000	14000	300000	3000	0	700000	1620000
5	भागलपुर	7000	600000	28000	800000	13000	0	1200000	2648000
6	बेगूसराय	0	1500000	14000	150000	0	15247365	900000	17811365
7	भोजपुर	0	1000000	25000	500000	0	0	1500000	3025000
8	बांका	0	650000	10000	180000	0	0	1500000	2340000
9	बक्सर	4000	400000	27000	200000	14000	0	800000	1445000
10	दरभंगा	3000	600000	6000	650000	3000	0	1500000	2762000
11	पूर्वी चम्पारण	0	200000	10000	100000	0	0	1300000	1610000
12	गोपालगंज	0	600000	35000	300000	0	0	700000	1635000
13	गया	0	600000	6000	800000	2000	0	2000000	3408000
14	जमुई	0	500000	0	200000	0	0	1500000	2200000
15	जहानाबाद	0	200000	20000	200000	0	0	200000	620000
16	खगडिया	3000	200000	6000	300000	3000	0	200000	712000
17	किशनगंज	3000	200000	13000	300000	3000	0	900000	1419000
18	कटिहार	0	600000	13000	300000	0	0	1000000	1913000
19	लखीसराय	0	600000	3000	300000	7000	0	1400000	2310000
20	मधुबनी	0	1000000	3000	700000	0	0	1200000	2903000
21	मधेपुरा	7000	600000	20000	400000	14000	0	1500000	2541000
22	मुंगेर	7000	600000	70000	200000	7000	0	1300000	2184000
23	मुजफ्फरपुर	0	500000	10000	1000000	0	0	1500000	3010000
24	नालन्दा	0	0	10000	500000	0	0	600000	1110000
25	नवादा	0	600000	6000	700000	0	0	200000	1506000
26	पूर्णियाँ	20000	300000	30000	400000	20000	0	700000	1470000
27	पटना	0	700000	80000	700000	0	0	500000	1980000
28	रोहतास	0	1500000	7000	500000	2000	0	800000	2809000
29	सहरसा	0	0	25000	400000	0	0	100000	525000
30	शिवहर	0	300000	3000	300000	2000	0	800000	1405000
31	शेखपुरा	0	600000	10000	300000	0	0	1300000	2210000
32	सितामढ़ी	0	600000	17000	700000	0	0	1700000	3017000
33	सुपौल	3000	1300000	6000	350000	0	0	1500000	3159000
34	सारण	0	400000	16000	300000	0	72000	400000	1188000
35	समस्तीपुर	0	1300000	0	700000	0	3400000	1000000	6400000
36	सिवान	0	600000	17000	700000	0	0	1300000	2617000
37	वैशाली	0	600000	535000	700000	0	0	600000	2435000
38	प0 चम्पारण	0	300000	6000	300000	0	0	800000	1406000
	कुल	67000	23550000	1155000	16630000	106000	19899032	37700000	99107032

(नौ करोड़ इक्यानवे लाख सात हजार बत्तीस) रूपये

10. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला योजना पदाधिकारी होंगे।

11. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह 5वीं तारीख तक जिला योजना पदाधिकारी अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं भुगतान के प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

27.08.26

(डॉ0 नुरूल हक सिवानी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो09/S.H.A-08/2026 – 712 (एबी) /यो0वि0,पटना, दिनांक 27 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि: सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.08.26
सरकार के संयुक्त सचिव

P.T.O.

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-08/2026 - 712 (स्वी.) /यो0वि0,पटना, दिनांक 27 अगस्त, 2026
प्रतिलिपिः विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक निदेशक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग/विभागीय लेखा एवं बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, योजना एंव विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.08.26
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-08/2026 - 712 (स्वी.) /यो0वि0,पटना, दिनांक 27 अगस्त, 2026
प्रतिलिपिः सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.08.26
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-08/2026 - 712 (स्वी.) /यो0वि0,पटना, दिनांक 27 अगस्त, 2026
प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.08.26
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-08/2026 - 712 (स्वी.) /यो0वि0,पटना, दिनांक 27 अगस्त, 2026
प्रतिलिपिः मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-08-26
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-08/2026 - 712 (स्वी.) /यो0वि0,पटना, दिनांक 27 अगस्त, 2026
प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27-08-26
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः यो09/S.H.A-08/2026 - 712 (स्वी.) /यो0वि0,पटना, दिनांक 27 अगस्त, 2026
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27.08.26
सरकार के संयुक्त सचिव

J. T. Manager.